दिनांक 25.04.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों के नियन्त्रणाधीन विभागाध्यक्षों तथा सूडा के अधिकारियों के साथ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के मुख्यालय स्थित सभागार में आहूत मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2.0 के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – 2.0 का क्रियान्वयन–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2024 से प्रारम्भ की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित 04 घटकों में से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में योजना के क्रियान्वयन पर विचार–विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (वर्ष 2018–21) में सी.एस.एम.सी. द्वारा स्वीकृत 153 परियोजनाओं में से मांग कम होने, उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने तथा अन्य कारणों से 64 परियोजनायें पूर्ण रूप से एवं 05 परियोजनायें आंशिक रूप से निरस्त किये जाने की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अन्तर्गत जनपदवार/प्राधिकरणवार लक्ष्य निर्धारित किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सूडा के माध्यम से यूनिफाईड वेब पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थियों के विवरण सम्बन्धित अभिकरणों को उपलब्ध करा दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में दिनांक 02.05.2025 को एक बैठक आहूत की जाये।

(कार्यवाही–आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1/आवास बन्धु)

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक में प्रस्ताव दुर्बल आय वर्ग भवनों के विक्रय मूल्य हेतु कारपेट एरिया रेट का निर्धारण–

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 हेतु जारी योजना दिशा निर्देश के प्रस्तर–5.2.5 में भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों के विक्रय मूल्य हेतु प्रति वर्गमीटर कारपेट एरिया दर (रूपये प्रति वर्गमीटर) के निर्धारण हेतु राज्य सरकार से अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्रस्तावित बैठक में अभिकरणों के विभागाध्यक्षों से विचार–विमर्श किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– आवास आयुक्त/ उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास बन्धु/ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1)

1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत खुले बाजार से निजी विकासकर्ताओं से भवन क्रय करने के सम्बन्ध में नीति–

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 हेतु जारी योजना दिशा निर्देश के प्रस्तर–5.2.16.बी (मॉडल–2) के अन्तर्गत खुले बाजार में निजी विकासकर्ताओं से भी लाभार्थी द्वारा भवन क्रय किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में कतिपय अभिकरणों द्वारा उनकी योजनाओं में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवनों को भी उक्त श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की गयी। इस सम्बन्ध में सूडा के माध्यम से भारत सरकार को प्रकरण संदर्भित करते हुए दिशा निर्देश प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–आवास बन्धु/सूडा)

1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी 2.0 के भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के परिसर के वाह्य विकास कार्य सम्बन्धित शासकीय विभागों से कराये जाने के सम्बन्ध में—

योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 18.11.2024 को हस्ताक्षरित सहमति पत्र के प्रस्तर—6 के अनुसार योजना परिसर के वाह्य विकास कार्य सम्बन्धित शासकीय विभागों द्वारा अपने बजट से कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी के अन्तर्गत विभिन्न 11 अभिकरणों की 21 परियोजनाओं के अन्तर्गत 15747 भवनों के परिसर/क्षेत्र में रू0 168.98 करोड़ मूल्य के वाह्य विकास कार्य निष्पादित न होने के कारण भवनों का आवंटन अवरूद्ध है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों एवं सूडा के साथ दिनांक 02.05.2025 को प्रस्तावित बैठक में विचार—विमर्श कर समुचित कार्यवाही निष्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—आवास बन्धु/ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1/सूडा)

2— प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी) घटक योजना (2018—21) का प्रगति विवरण—

2.1 89 परियोजनाओं के सापेक्ष निर्माणाधीन 87 परियोजनाओं की समीक्षा—

- बैठक में अवगत कराया गया कि स्वीकृत 89 परियोजनाओं (64890 भवन) के सापेक्ष वर्तमान में कुल 87 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जिसमें 48 परियोजनाओं के अंतर्गत समस्त 31645 भवन पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा प्रगति में स्थित 39 परियोजनाओं के अंतर्गत 14228 भवन पूर्ण हैं तथा 16135 भवन विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 45904 (70.74 प्रतिशत) भवन पूर्ण, 16135 (24.87 प्रतिशत) भवन निर्माणाधीन तथा 2851(4.39 प्रतिशत) भवन अनारम्भ हैं, जिसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 1536 भवनों की परियोजना तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 873 भवनों की परियोजना प्रारम्भ नहीं हुई है। गोरखपुर तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन व सूडा से पूर्व में किये गये अनुरोध के प्रस्ताव के अनुसार सूडा द्वारा परियोजना को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव से असहमति के साथ मुख्य सचिव महोदय द्वारा एस.एल.एस.एम.सी. की बैठक में उक्त दोनों परियोजनाओं को प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव महोदय से मिलकर योजना के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध कर लिया जाये। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निजी विकासकर्ता मे0 एस.जी.एस. कन्सट्रक्शन्स प्रा0 डेवलपर्स की 1493 एवं 1493 भवनों की दो परियोजनाओं की प्रगति पिछले लगभग 1.5 वर्ष से प्लिंथ/नीव स्तर पर होने की सूचना है। इस संबंध में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि निजी विकासकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के निर्माण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस संबंध में निजी विकासकर्ता के विरूद्ध अनुबन्ध में निहित शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.04.2025 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी भवनों का निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2025 तक पूर्ण कर लिया जाये। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2025 के उपरान्त केन्द्रांश की कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
- हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 956 भवनों की परियोजना में 442 भवन अनारम्भ हैं। इस संबंध में उपाध्यक्ष, हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि निजी विकासकर्ता द्वारा कार्य त्वरित गति से कराया जा रहा है एवं

योजना की निर्धारित अवधि में इसे पूर्ण कर लिया जायेगा। विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त विवरण के अनुसार 336 भवन ग्राउण्ड लेवेल, 4298 भवन प्लिंथ लेवेल, 754 भवन रूफ लेवेल, 3332 भवन सुपर स्ट्रक्चर लेवेल तथा 7415 भवन फिनीशिंग लेवेल पर स्थित हैं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2025 तक योजना विस्तारित कर दी गयी है। सभी संबंधित अभिकरणों से अपेक्षा की गयी कि योजना की विस्तारित तिथि तक योजना का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। अद्यतन 49126 भवन आवंटित हैं तथा कुल 17217 भवनों का कब्जा आवंटियों को प्रदान किया जा चुका है। सभी भवनों का आवंटन शीघ्र करने एवं कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही त्वरित गति से किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास बन्धु/ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1)

2.2 सूडा एवं अभिकरणों से संबंधित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा–

2.2.1 **निर्माणाधीन भवनों के सापेक्ष एम.आई.एस. अटैचमेन्ट**– वर्तमान में 6054 एम.आई.एस. अटैचमेन्ट अवशेष है, जिसमें उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद (1511), बरेली (220), गाजियाबाद (524), गोरखपुर (348), कानपुर (1802), मुरादाबाद (111), मुजफ्फरनगर (10), अयोध्या (18), झांसी (90), मेरठ (80), उन्नाव–शुक्लागंज (33), रायबरेली (40), फिरोजाबाद–शिकोहाबाद (94), हापुड़–पिलखुवा (50), लखनऊ (1040), रामपुर (51) तथा प्रयागराज (32) के अटैचमेन्ट के संबंध में सूडा के माध्यम से कार्यवाही करायी जानी है। इस सम्बन्ध में संबंधित अभिकरणों को सूडा से समन्वय स्थापित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/सूडा/ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1)

2.2.2 **उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रेषण**– वर्तमान में विभिन्न अभिकरणों द्वारा रूपये 15437.93 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सूडा को प्रस्तुत किया जाना अवशेष है, जिसमें मुख्य रूप से बरेली (582.82), कानपुर (7478.53), हापुड़–पिलखुवा (1106.00), लखनऊ (2097.09), गाजियाबाद (1955.63), प्रयागराज (512.00), मुरादाबाद (912.50), वाराणसी (432.00), गोरखपुर (216.00) तथा मुजफ्फरनगर (288.50) द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाना अवशेष है। कतिपय अभिकरणों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि दिनांक 02.05.2025 को आहूत बैठक से पूर्व समस्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा अद्यतन स्थिति से शासन को बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/सूडा/ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1)

2.2.3 **एस.एन.ए. एकाउन्ट में अवशेष धनराशि के उपयोग के संबंध में**– विभिन्न अभिकरणों के एस.एन.ए. एकाउन्ट में कुल रूपये 16.56 करोड़ की धनराशि उपयोग हेतु अवशेष पड़ी हुई है। इस संबंध में सूडा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस.एन.ए. खाते में धनराशि निष्प्रयोज्य पड़े रहने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा अग्रिम धनराशि अवमुक्त नहीं की जाती है। एस.एन.ए. खाते में गाजियाबाद (18.64), अलीगढ़ (0.885), हापुड़–पिलखुवा (2.04) तथा प्रयागराज (0.21) की धनराशि निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। विचार–विमर्श के दौरान संबंधित अभिकरणों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि एस.एन.ए. खाते से धनराशि के निकासी की कार्यवाही प्रगति में है, इसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही– उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण)

3— वित्तीय वर्ष 2024—25 में किये गये निर्माण एवं विकास कार्यो की प्रगति समीक्षा।

बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में निर्माण एवं विकास हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू.**6200.70** करोड़ के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक कुल धनराशि **रू.3707.78करोड़ (59.8 प्रतिशत)** का व्यय किया गया है। **शून्य प्रगति वाले अभिकरणः—** प्राविधानित बजट धनराशि के सापेक्ष उन्नाव विकास प्राधिकरण की प्रगति शून्य है तथा बागपत की मात्र 0.26 प्रतिशत है। कपिलवस्तु तथा कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा बजट में धनराशि का कोई भी प्राविधान नही किया गया है। **30 प्रतिशत से कम प्रगति वाले 08 अभिकरणः—** रायबरेली (4.17 प्रतिशत), मिर्जापुर (4.43 प्रतिशत), शक्तिनगर (10.11 प्रतिशत), अयोध्या (11.21 प्रतिशत), रामपुर (17.75 प्रतिशत), आजमगढ़ (22.16 प्रतिशत), अलीगढ़ (24.47 प्रतिशत) तथा फिरोजाबाद (26.81 प्रतिशत) है। **30 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत से कम प्रगति वाले 09 अभिकरणः—** सहारनपुर (33.63 प्रतिशत), मुरादाबाद (38.12 प्रतिशत) गाजियाबाद (41.59 प्रतिशत), गोरखपुर (46.43 प्रतिशत), कानपुर (46.33 प्रतिशत), मथुरा—वृन्दावन (43.85 प्रतिशत) प्रयागराज (47.17 प्रतिशत), बरेली (54.28 प्रतिशत) तथा बुलन्दशहर—खुर्जा (59.30 प्रतिशत) है। **औसत प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाले 12 अभिकरणः—** वाराणसी (98.74 प्रतिशत), आवास विकास परिषद (97.99 प्रतिशत), उरई (94.36 प्रतिशत), चित्रकूट (85.67 प्रतिशत), बस्ती (83.82 प्रतिशत), बांदा (81.84 प्रतिशत), मेरठ (79.56 प्रतिशत), लखनऊ (77.45 प्रतिशत), मुजफ्फरनगर (75.04 प्रतिशत), झांसी (67.39 प्रतिशत), हापुड़ (61.90 प्रतिशत) तथा आगरा (60.62 प्रतिशत) है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि निर्माण एवं विकास गतिविधियों को संचालित किए जाने हेतु सार्थक प्रयास किए जायें तथा निर्धारित बजट के सापेक्ष अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित उपाध्यक्षों द्वारा सत्त् अनुश्रवण किया जाये। जिन अभिकरणों द्वारा निर्माण विकास कार्य हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, उनके द्वारा तत्काल बजट निर्धारित किया जाये।

(कार्यवाही—आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0वि0प्रा0)
नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0)

4— वित्तीय वर्ष 2024—25 में अभिकरणों द्वारा अर्जित की गयी आय की प्रगति समीक्षा।

बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्राविधानित बजट धनराशि रू.15734.95 करोड़ के सापेक्ष कुल धनराशि रू. 15651.38 करोड़ (99.47 प्रतिशत) आय अर्जित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में विगत वर्ष 2023—24 की समकालीन अवधि में अर्जित आय रू. 12777.32 करोड़ के सापेक्ष 22.00 प्रतिशत अधिक आय अर्जित की गयी है।
कपिलवस्तु एवं कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में बजट का प्राविधान ही नही किया गया है। 50 प्रतिशत से कम प्रगति वाले 08 अभिकरणः— उन्नाव (12.93), बस्ती (24.85), रायबरेली (26.30), अलीगढ़ (29.00), मिर्जापुर (32.95), अयोध्या (35.34), आगरा (41.18) तथा प्रयागराज (47.48) है। 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत से कम प्रगति वाले 08 अभिकरणः— बुलन्दशहर—खुर्जा (52.77), कानपुर (53.66), सहारनपुर (62.49), गोरखपुर (62.74), मथुरा (63.20), झांसी (65.86), मुरादाबाद (69.86), रामपुर (72.16) तथा बागपत (74.30) है। 75 प्रतिशत से अधिक व 100 प्रतिशत से कम प्रगति वाले 02 अभिकरणः— आजमगढ़ (85.67), बांदा (93.57) तथा उरई (94.48) है। औसत प्रगति 100 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाले 11 अभिकरणः— चित्रकूट (708.02), मेरठ (239.97), फिरोजाबाद (188.57), आवास विकास परिषद (136.62), हापुड़ (184.69), लखनऊ (130.65), वाराणसी (134.75), गाजियाबाद (127.73), मुजफ्फरनगर (109.39), शक्तिनगर (105.35) तथा बरेली (103.43) है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अभिकरणों द्वारा निर्धारित बजट के सापेक्ष शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु उपाध्यक्षों द्वारा सत्त् अनुश्रवण करते हुए सार्थक प्रयास किये जायें।

➢ **अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्ययः—**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष में 2024—25 मे कुल अर्जित धनराशि रू. 15658.30 करोड़ के सापेक्ष रू0 1387.67 करोड़ धनराशि प्रशासनिक व्यय मद में व्यय की गयी है, जोकि अर्जित आय के सापेक्ष 8.86 प्रतिशत है। अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक हैः— आजमगढ़ (14.88 प्रतिशत), गोरखपुर (11.84 प्रतिशत) मुजफ्फरनगर (11.56 प्रतिशत), उरई (12.17 प्रतिशत) तथा सहारनपुर (14.44 प्रतिशत) है। अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत से अधिक हैः— रायबरेली (55.18 प्रतिशत), उन्नाव (52.06 प्रतिशत) फिरोजाबाद (41.08 प्रतिशत), मिर्जापुर (28.61 प्रतिशत), लखनऊ (15.30 प्रतिशत), रामपुर (15.16 प्रतिशत) तथा कानपुर (15.04 प्रतिशत) है। कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा रू0 119.25 करोड़ प्रशासनिक व्यय मद में व्यय किया गया है जबकि प्राप्तियां मात्र रू0 0.37 करोड़ है।

जिन अभिकरणों में प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अर्जित आय बढ़ाते हुए प्रशासनिक व्यय को कम किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0वि0प्रा0)

5— **जनहित गारण्टी पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा।**

जनहित गारन्टी पोर्टल पर समस्त अभिकरणों में सेवावार प्राप्त प्रकरणों का विवरण निम्नवत् हैः—

(i) **डुप्लीकेट आर्डर** :— **डुप्लीकेट आर्डर** :— समस्त अभिकरणों में कुल 3619 प्रकरण प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 2023 प्रकरण स्वीकृत हुए, 1535 प्रकरण निरस्त हुए तथा **61 प्रकरण स्वीकृति की प्रकिया में है। सर्वाधिक लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित 05 अभिकरण यथा;** आवास विकास परिषद (26), हापुड़ वि0प्रा0 (15), गाजियाबाद वि0प्रा0 (08), गोरखपुर वि0प्रा0 (03) तथा प्रयागराज वि0प्रा0 (03) है।

(ii) **आनलाइन रिफण्ड** :— समस्त अभिकरणों में कुल 17197 प्रकरण प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 11583 प्रकरण स्वीकृत हुए, 4913 प्रकरण निरस्त हुए तथा **701 प्रकरण स्वीकृति की प्रकिया में है। सर्वाधिक लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित 05 अभिकरण यथा;** आवास एव विकास परिषद (322), गाजियाबाद वि0प्रा0 (195), लखनऊ वि0प्रा0 (78) मेरठ वि0प्रा0(32) तथा गोरखपुर वि0प्रा0 (23) है।

(iii) **फी—होल्ड** :— समस्त अभिकरणों में कुल 3988 प्रकरण प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 2366 प्रकरण स्वीकृत हुए, 1420 प्रकरण निरस्त हुए तथा **202 प्रकरण स्वीकृति की प्रकिया में है। सर्वाधिक लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित 04 अभिकरण यथा;** प्रयागराज वि0प्रा (57), लखनऊ वि0प्रा0 (51), आवास विकास परिषद् (47) तथा गाजियाबाद वि0प्रा0 (43) हैं।

(iv) **ऑन लाइन म्यूटेशन** :— समस्त अभिकरणों में कुल 77220 प्रकरण प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 56856 प्रकरण स्वीकृत हुए, 17216 प्रकरण निरस्त हुए तथा **3148 प्रकरण स्वीकृति की प्रकिया में है। सर्वाधिक लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित 05 अभिकरण यथा;** आवास विकास परिषद् (1136), गाजियाबाद वि0प्रा0 (775), लखनऊ वि0प्रा0 (430), प्रयागराज वि0प्रा0 (165) तथा गोरखपुर वि0प्रा0 (120) हैं।

(v) **आवंटन हेतु ऑन लाइन पंजीकरण** :— समस्त अभिकरणों में कुल 47710 प्रकरण प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 9710 प्रकरण स्वीकृत हुए, 37055 प्रकरण निरस्त हुए तथा **945 प्रकरण स्वीकृति की प्रकिया में है। सर्वाधिक लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित 05 अभिकरण**

यथा; गोरखपुर वि0प्रा0(612), गाजियाबाद वि0प्रा0 (108), बांदा वि0प्रा0 (90), प्रयागराज वि0प्रा0 (46) तथा अलीगढ़ वि0प्रा0 (40) हैं।

निर्देश दिये गये समस्त अभिकरणों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही—उपाध्यक्ष, सम्बन्धित वि0प्रा0/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0)

6— **अवैध निर्माण/अतिकमण के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन हेतु चलाये जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान की प्रगति समीक्षा तथा अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित साफ्टवेयर 'प्रवर्तन' के 'एप' को प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा।**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा माह मार्च, 2025 तक **कुल चिन्हित 249771 अवैध निर्माणों के सापेक्ष 246264 (98.59 प्रतिशत) प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित है। 5000 से अधिक निस्तारण हेतु लम्बित प्रकरण वाले** अभिकरणों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क. सं.	अभिकरणों का नाम	कुल चिन्हित अवैध निर्माण	वित्तीय वर्ष 2024—25 में की गयी कार्यवाही की प्रगति (माह मार्च, 2025 तक)			
			कुल शमनित अवैध निर्माण	कुल ध्वस्त अवैध निर्माण	कुल निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण
1	आगरा वि0प्रा0	11366	94	63	0	11209
2	अलीगढ़ वि0प्रा0	7217	27	37	09	7144
3	आवास विकास परि0	23480	01	215	83	23181
4	गाजियाबाद वि0प्रा0	11025	43	160	02	10820
5	गोरखपुर वि0प्रा	24063	12	14	10	24027
6	कानपुर वि0प्रा0	13329	10	04	0	13315
7	लखनऊ वि0प्रा0	19791	44	1298	162	18287
8	मथुरा—वृन्दा0वि0प्रा0	7779	07	76	0	7696
9	मेरठ वि0प्रा0	14445	01	38	0	14286
10	मुजफ्फरनगर वि0प्रा0	7601	13	79	0	7509
11	प्रयागराज वि0प्रा0	35319	13	30	0	35276
12	सहारनपुर वि0प्रा0	6519	33	93	22	6371
13	वाराणसी वि0प्रा0	27269	332	40	18	26879

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये :—

(1) समस्त अभिकरणों के उपाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माणों की गहन समीक्षा करते हुए, बड़े अवैध निर्माणों/शासकीय भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं पर अकुंश लग सके। इस सम्बन्ध में जोनवार लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

(2) बैठक में अवगत कराया गया कि प्रवर्तन पोर्टल का नया वर्जन तैयार हो गया है, अतः समस्त अभिकरणों द्वारा इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए इसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) समस्त अभिकरणों से यह भी अपेक्षा की गयी प्रवर्तन पोर्टल पर लिगेसी डाटा की इन्ट्री आगामी एक माह में सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0 वि0प्रा0/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8/आवास बन्धु)

7– अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा।

बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह मार्च, 2025 तक **3510 आवासीय भूखण्ड निस्तारण हेतु अवशेष है, जिसकी लागत लगभग रू.1211.10 करोड़ है।** अभिकरणवार विवरण, जिनमें 50 से अधिक सम्पत्तियां निस्तारण हेतु अवशेष है, निम्नवत् हैः–

क.सं.	अभिकरण का नाम	दि0 01.04.24 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (नयी सृजित+ निरस्तीकरण से प्राप्त को जोड़कर)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियां	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां
1.	आगरा वि0प्रा0	250	552	03	60
2.	आवास विकास परिषद	1122	2421	74	888
	अयोध्या वि0प्रा0	0	600	543	57
3.	बांदा वि0प्रा0	100	100	0	52
4.	बरेली वि0प्रा0	411	1355	31	365
5.	गाजियाबाद वि0प्रा0	82	137	07	66
6.	कानपुर वि0प्रा0	182	713	518	61
7.	लखनऊ वि0प्रा0	186	186	0	175
8.	मेरठ वि0प्रा0	1110	1110	20	1088
9	मुरादाबाद वि0प्रा0	150	152	3	126
10.	प्रयागराज वि0प्रा0	483	483	0	483

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह मार्च, 2025 तक **5512 अनावासीय सम्पत्तियां निस्तारण हेतु अवशेष है, जिसकी लागत लगभग रू.13788.43 करोड़ है।** अभिकरणवार विवरण, जिनमें 100 से अधिक सम्पत्तियां निस्तारण हेतु अवशेष है, निम्नवत् हैः–

क.सं.	अभिकरण का नाम	दि0 01.04.24 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (नयी सृजित+ निरस्तीकरण से प्राप्त को जोड़कर)	चालू वर्ष आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियां	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां
1.	आगरा	544	594	4	556
2.	अलीगढ़	312	312	0	312

3.	आवास विकास परिषद	1348	1497	9	1320
4.	बरेली	454	454	0	384
5.	गाजियाबाद	269	305	14	252
6.	गोरखपुर	146	146	0	146
7.	हापुड़	180	180	0	164
8.	कानपुर	682	736	04	699
9.	लखनऊ	671	760	0	646
10.	मेरठ वि0प्रा0	314	314	32	281
11.	मुरादाबाद	361	361	3	39

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि विभिन्न आवासीय एवं अनावासीय भूखण्डों के निस्तारण के सम्बन्ध में सार्थक प्रयास किये जायें। आवंटन हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों का अभिकरण वेबसाइट, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त /उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0)

8– वित्तीय वर्ष 2022–23 में की गयी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की प्रगति समीक्षा। सम्पत्तियों की रजिस्ट्रीः–

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा वि0क्षे0 विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत माह मार्च, 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार **41666 सम्पत्तियों की रजिस्ट्री होना अवशेष है।** रजिस्ट्री हेतु सर्वाधिक अवशेष सम्पत्तियों (500 से अधिक) से सम्बन्धित अभिकरण आगरा (2864), अलीगढ़ (1742), आवास विकास परिषद (6768), गाजियाबाद (11575), कानपुर (1552), लखनऊ (10250), मेरठ (3153), मुरादाबाद (1005) तथा प्रयागराज (617) है।

रजिस्ट्री हेतु अवशेष सम्पत्तियां, जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है, से सम्बन्धित अभिकरण आगरा (208), अलीगढ़ (20), आवास विकास परिषद (3525), गाजियाबाद (6261), कानपुर (997), लखनऊ (3374), मेरठ (37), मुरादाबाद (208) तथा प्रयागराज (49) है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि समस्त अभिकरणों द्वारा रजिस्ट्री हेतु अवशेष सम्पत्तियों की निबंधन विभाग के सहयोग से कैंम्प का आयोजन कर अधिकाधिक रजिस्ट्री करायी जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0 वि0प्रा0)

9– लैंड बैंक/लैंड ऑडिट की प्रगति समीक्षा।

माह मार्च, 2025 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरणों तथा वि0क्षे0 विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत नियोजन हेतु कुल 4791.96 हेक्टेयर भूमि शेष है। 12 अभिकरणों यथा; अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर व वाराणसी विकास प्राधिकरणों तथा कपिलवस्तु वि0 क्षे0 विकास प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। बांदा (0.88 हे0), कुशीनगर (0.97 हे0), उरई (1.41 हे0), विकास प्राधिकरण में लैण्ड बैंक 03 हेक्टेयर या 03 हेक्टेयर से कम है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में केवल अलीगढ़ वि0प्रा0 द्वारा 55.40 हे0, आवास विकास परिषद द्वारा 282.17 हे0, अयोध्या वि0प्रा0 द्वारा 26.80 हे0, आजमगढ़ वि0प्रा0 द्वारा 1.04 हे0, बुलन्दशहर–खुर्जा वि0प्रा0 द्वारा 32.77 हे0, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा 192.06 हे0, कानपुर द्वारा 1.38 हे0, मुरादाबाद 36.10 हे0 भूमि अर्जित की गयी है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में कुल 627.72 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी है। शेष अन्य अभिकरणों की प्रगति शून्य है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन अभिकरणों का लैण्ड बैंक शून्य अथवा नगण्य हैं, उनके द्वारा लैण्ड बैंक बढ़ाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें तथा इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आगामी 03 माह के अन्दर प्रस्ताव तैयार

कर प्रस्तुत किये जायें।

(कार्यवाही— उपाध्यक्ष, सम्बन्धित वि0प्रा0/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1)

10— अभिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों, 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों, पुराने जलाशयों के संरक्षण एवं नये जलाशयों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यो के निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति की समीक्षा।

बैठक में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024—2025 में आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं वि0क्षे0 विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में निर्धारित लक्ष्य 233 के सापेक्ष कुल 86 भवनों में ही रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—2025 में अयोध्या, बस्ती, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी विकास प्राधिकरण तथा चित्रकूट, कपिलवस्तु, शक्तिनगर (सोनभद्र) व कुशीनगर वि0क्षे0 विकास प्राधिकरण सहित कुल 14 अभिकरणों में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों में लक्ष्य शून्य दर्शाया गया है। अलीगढ़, आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, झांसी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली तथा उन्नाव विकास प्राधिकरण की निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शून्य है।

वित्तीय वर्ष 2024—2025 में आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं वि0क्षे0 विकास प्राधिकरण द्वारा 300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के निर्धारित लक्ष्य 1507 भवनों के सापेक्ष कुल 1078 भवनों में ही रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—2025 में अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज व वाराणसी विकास प्राधिकरण तथा कपिलवस्तु, व कुशीनगर वि0क्षे0 विकास प्राधिकरण सहित कुल 09 अभिकरणों में 300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में लक्ष्य शून्य दर्शाया गया है। आजमगढ़, चित्रकूट, रायबरेली तथा उन्नाव विकास प्राधिकरण की निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शून्य है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन प्रगति निम्नवत् है:—

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य	प्रगति माह मार्च, 2025
1	आवास विकास परि0	124	106
2	आगरा वि0प्रा0	150	36
3	अलीगढ़ वि0प्रा0	10	10
4	बागपत वि0प्रा0	10	08
5	बांदा वि0प्रा0	10	04
6	बरेली वि0प्रा0	25	16
7	बुलन्दशहर—खुर्जा वि0प्रा0	09	02
8	गाजियाबाद वि0प्रा0	100	32
9	हापुड़ वि0प्रा0	25	15
10	झांसी वि0प्रा0	50	41
11	कानपुर वि0प्रा0	14	119
12	लखनऊ वि0प्रा0	200	197
13	मथुरा वि0प्रा0	100	65
14	मेरठ वि0प्रा0	150	171
15	मुरादाबाद वि0प्रा0	196	45
16	मुजफ्फरनगर वि0प्रा0	40	38
17	उरई वि0प्रा0	13	04
18	प्रयागराज वि0प्रा0	0	45
19	रामपुर वि0प्रा0	82	38

20	सहारनपुर वि0प्रा0	20	01
21	शक्तिनगर (सोनभद्र) वि0क्षे0 वि0प्रा0	70	84

वित्तीय वर्ष 2024–2025 में बरेली (01), झांसी (01), लखनऊ (04), मथुरा (02), मुजफ्फरनगर (01) व सहारनपुर (02) द्वारा कुल 06 अभिकरणों में ही पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों के निर्माण हेतु कुल 11 जलाशयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेष अन्य 28 अभिकरणों में लक्ष्य शून्य दर्शाया गया है। लखनऊ (04), बरेली (01) व सहारनपुर(01) विकास प्राधिकरण द्वारा जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष अभिकरणों की प्रगति शून्य है।

इस संबन्ध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

(1) विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा, ऐसे भवन जहां भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया जाना आवश्यक है का चिन्हींकरण पूर्णरूप से नहीं किया गया है। अतः समस्त प्राधिकरणों से अपेक्षा की गयी कि वह उक्त चिन्हींकरण का कार्य 15 दिवस के अन्दर अवश्य पूर्ण करा लें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पूर्व में जिन भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये गये हैं, वह क्रियाशील हैं अथवा नहीं। यदि यह सिस्टम अक्रियाशील पाये जाते हैं, तो उन भवन स्वामियों को इन सिस्टम्स को क्रियाशील किये जाने हेतु नोटिस जारी किये जायें।

(2) राजस्व अभिलेखों के अनुसार जलाशयों का चिन्हांकन करते हुए, उन्हें विकसित किये जाने की कार्य योजना तैयार की जाये। बड़े प्राधिकरणों द्वारा कम से कम 02–03 तथा छोटे प्राधिकरणों द्वारा कम से कम 01 जलाशय का संरक्षण कार्य अवश्य कराया जाये।

(3) ओबीपीएएस सिस्टम लागू होने के पश्चात 300 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल से अधिक के स्वीकृत मानचित्रों को लक्ष्य के रूप में मानते हुए इसके सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा समस्त अभिकरणों को उपर्युक्त श्रेणी के मानचित्रों की सूची एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त / उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0 / अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0वि0प्रा0 / मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0)

11– निवेश मित्र एवं ओ.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा।

बैठक में सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डालर बनाये जाने हेतु मानचित्र स्वीकृति की भूमिका के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 19.04.2025 पर चर्चा की गयी, जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यद्यपि विगत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष मानचित्र जमा करने की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु स्वीकृत मानचित्र की संख्या यथावत् है। जीवीए को बढ़ाने हेतु मानचित्रों की स्वीकृति को बढ़ाया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरणवार चर्चा की गयी तथा यह पाया गया कि लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, मथुरा–वृन्दावन, वाराणसी, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, सहारनपुर, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद, रायबरेली, रामपुर, बरेली, हापुड़–पिलखुआ, झांसी, मिर्जापुर, उरई, बागपत–बड़ौत–खेकड़ा में गत वर्ष की तुलना में मानचित्र स्वीकृति का प्रतिशत कम हुआ है। प्रयागराज, मथुरा–वृन्दावन, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, खुर्जा, रायबरेली, बरेली, झांसी, बांदा, उरई, बागपत–बड़ौत–खेकड़ा में विगत वर्ष की तुलना में मानचित्र स्वीकृति की संख्या कम हुई है।

इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

(1) प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों द्वारा अपने स्तर पर मानचित्र अस्वीकृत होने के कारणों की गहन समीक्षा की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि मानचित्रों पर अनावश्यक आपत्तियां न लगायी जायें। आवेदकों द्वारा जमा किये गये मानचित्र पर समस्त शार्टफाल एक बार ही सूचित किये जायें।

(2) निवेश मित्र एवं ओबीपीएएस पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

(3) मानचित्र समाधान दिवस का प्रत्येक बृहस्पतिवार को नियमित आयोजन किया जाये। उक्त के अतिरिक्त आवास आयुक्त एवं समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सोमवार निवेश मित्र एवं ओबीपीएएस पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की जाये। निर्धारित अवधि से अधिक लम्बित मानचित्रों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये तथा स्वीकृत मानचित्रों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0/आवास अनुभाग–3)

12– अमृत योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगरों हेतु अनुमोदित जी.आई.एस. बेस्ड महायोजनाओं के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे जोनल प्लान के कार्य की प्रगति समीक्षा।

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी।

13– शासन के लम्बित संदर्भों की समीक्षा।

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, 2 व 3 द्वारा शासन के लम्बित संदर्भों को विभागीय ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाये। समस्त अभिकरणों द्वारा लम्बित संदर्भों पर एक सप्ताह में आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– उपाध्यक्ष, सम्बन्धित वि0प्रा0)

14– सी0ए0जी0 पैरा/अन्य समिति के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा।

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 द्वारा सी0ए0जी0 पैरा/अन्य समिति के लम्बित प्रकरणों को विभागीय ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाये। समस्त अभिकरणों द्वारा लम्बित संदर्भो पर एक सप्ताह में आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– उपाध्यक्ष, सम्बन्धित वि0प्रा0)

15– शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित अवस्थापना विकास निधि हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

बैठक में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में चालू कार्यों हेतु रू.200 करोड़ जबकि नये कार्यों हेतु रू.200 करोड़ का प्राविधान है। उनके द्वारा समस्त अभिकरणों को निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06 जून, 2019 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में अभिकरणों द्वारा आगणन/डीपीआर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 को प्रत्येक दशा में दिनांक 30.04.2025 तक उपलब्ध करा दिया जाये, जिससे उनके द्वारा कार्ययोजना तैयार करते हुए सक्षम स्तर से इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

(कार्यवाही– आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0)

16– मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में विचार।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों को अवमुक्त की गयी सीड कैपिटल की धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि एवं प्राधिकरण द्वारा स्वयं के स्त्रोतो से व्यय की गयी धनराशि तथा अभिकरणों द्वारा अब तक क्रय की गयी भूमि की समीक्षा की गई। संबन्धित अभिकरणों से भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कार्यवाही में गतिशीलता लाए

जाने तथा शेष अभिकरणों से उक्त योजना के अन्तर्गत नई योजनाएं प्रस्तावित किये जाने के संबन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही– उपाध्यक्ष, सम्बन्धित वि0प्रा0)

17– आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं गुणवत्तापरक निस्तारण की समीक्षा।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 द्वारा से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग स्तर पर कुल 6416 संदर्भ प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 6294 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 85 संदर्भ लम्बित है तथा 37 सदंर्भो में डिफाल्टर है। समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग– 2 द्वारा लम्बित संदभों को विभागीय ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाये। निर्देश दिये गये सम्बन्धित अभिकरणों/विभागों द्वारा लम्बित गुणवत्तापूर्ण ढंग से संदर्भो का तत्काल निस्तारण कराया जाये तथा बाटम 05 के प्राधिकरणों द्वारा विशेष ध्यान देकर प्रकरणों का निस्तारण कराया जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0वि0प्रा0/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2)

18– मा0 न्यायालय मे योजित रिट याचिका/निर्देश याचिका/अवमानना वादों की समीक्षा।

समयाभाव के कारण इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी। विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 द्वारा महाधिवक्ता की साइट पर प्रदर्शित रिट याचिका/निर्देश याचिका/अवमानना वादों का विवरण विभागीय ग्रुप पर पोस्ट कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की जायेः–

(1) महाधिवक्ता की साइट पर प्रदर्शित वादों में एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराये जायें।

(2) जनहित याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के आदेशों के कम में अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करने एवं यदि किसी प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश का विधिक प्रतिवाद किया जाना हो, तो ऐसे मामलों में समयान्तर्गत निर्णय लेते हुये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

(3) मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं एवं अवमानना वादों को 03 श्रेणियों क्रमशः ऐसे वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल होना है, ऐसे वाद जिनमें मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन किया जाना है तथा ऐसे वाद जहां मा0 न्यायालयों की अवमानना की स्थिति है, में वर्गीकृत करते हुए उपाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाये।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0वि0प्रा0/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5)

19– प्रस्तावित भवन निर्माण उपविधि–2025 के ड्राफ्ट पर विचार–विमर्श।

बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के ड्राफ्ट पर विभिन्न प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों से विस्तृत चर्चा की गयी। उपाध्यक्षों द्वारा उक्त उपविधि के विभिन्न प्रस्तरों पर व्यवहारिक एवं सार्थक सुझाव दिये गये। इस सम्बन्ध में विभिन्न विकास प्राधिकरणों से अपेक्षा की गयी कि अपने सुझाव प्रत्येक दशा में दिनांक 28.04.2025 तक लिखित रूप में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करा दिये जायें, जिससे इन पर विचार करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को अंतिम रूप दिया जा सके।

(कार्यवाही–आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0/अध्यक्ष, समस्त वि0क्षे0वि0प्रा0/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0)

20— लखनऊ व गाजियाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में सम्पादित कराये गये महत्वपूर्ण कार्यो/उपलब्धियों एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो की कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण।

समयाभाव के कारण प्रस्तुतीकरण नहीं हो सका।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

'अनुमोदित'

(पी0 गुरू प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या:2309 /आ.ब.—1/समीक्षा बैठक/2024 दिनांक 26 मई, 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, नगर भूमि एवं सीमारोपण विभाग, उ0प्र0।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

(रवि जैन)
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0।